

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एम०के०सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण क्रमांक 3071/एक/2015 - विरुद्ध आदेश दिनांक
27.07.15 - पारित द्वारा कलेक्टर जिला जबलपुर - प्रकरण
क्रमांक 223 अ-21/2013-14

इन्दुसिंह पुत्र सुम्मेर सिंह गौड़
ग्राम सुन्दरपुर तहसील पनागर
जिला जबलपुर, मध्य प्रदेश।

---अपीलांट

विरुद्ध

1- मध्य प्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जबलपुर

2- शारदाप्रसाद पुत्र रोहणीप्रसाद यादव

ग्राम सुन्दरपुर तहसील पनागर

जिला जबलपुर मध्य प्रदेश

----रिस्पाण्डेन्ट्स

(अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी)
(अनावेदक की ओर से पैनल लायर)


आ दे श

(आज दिनांक 18- 9 - 2015 को पारित)

यह अपील कलेक्टर जिला जबलपुर के प्रकरण क्रमांक
223 अ-21/2013-14 में पारित आदेश दिनांक 27.7.15 के
विरुद्ध म.प्र. भू राज. संहिता, 1959 की धारा 44 के तहत
प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि अपीलार्थी ने कलेक्टर
जबलपुर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मांग की कि
उसकेस्वामित्व की मौजा पोड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 172





रकबा 1.74 हैक्टर, 124 रकबा 1.35 है. , 120 रकबा 1.15 है. , 123 रकबा 1.20 हैक्टर कुल किता चार कुल रकबा 5.39 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि लिखा गया है) को वह विक्रय करना चाहता है एवं उसके द्वारा रिस्पा0 क्रमांक 2 से विक्रय अनुबंध कर लिया है। इस भूमि को विक्रय करने के वाद उसके पास ग्राम देहरी खुर्द में 2.97 है. भूमि बचेगी, इसलिये वह भूमिहीन भी नहीं होगा। भूमि विक्रय की अनुमति प्रदान की जावे। कलेक्टर जिला जबलपुर ने प्र. क. 223 अ-21/ 13-14 पंजीबद्ध किया तथा अपीलांट के आवेदन में वर्णित तथ्यों की जांच अनुविभागीय अधिकारी जबलपुर एवं तहसीलदार पनागर से कराई। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने आदेश दि. 20.4.15 से प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त कर दिया। अपीलांट द्वारा प्रकरण पुर्नस्थापित करने हेतु आवेदन देने पर आदेश दि. 27.7.15 से पुर्नस्थापन आवेदन निरस्त कर दिया। फलतः अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन निरस्त भी निरस्त हो गया। इसी आदेश के विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्कों में बताया कि अनुविभागीय अधिकारी के यहाँ से जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर कलेक्टर जबलपुर ने प्रकरण अदम पैरबी में 20.4.15 को निरस्त कर दिया, जबकि कलेक्टर जबलपुर को आवेदक को सूचना देना थी, जब आवेदक प्रकरण की जानकारी लेने कलेक्ट्रेट पहुंचा तब उसे अदम पैरबी आदेश की जानकारी हुई और उसने जानकारी के तत्काल वाद प्रकरण पुर्नस्थापित करने का आवेदन दिया, किन्तु कलेक्टर महोदय ने जानबूझकर पुर्नस्थापन आवेदन आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त कर दिया, जिसके कारण अपीलांट का विक्रय अनुमति आवेदन जांच प्रक्रिया पूर्ण होने के वाद भी विक्रय



अनुमति मिलने पर विचार होने से रह गया। अतः विचाराधीन अपील प्रस्तुत कर कलेक्टर महोदय के आदेश दिनांक 20.4.15 एवं 27.7.2015 को निरस्त कर पुर्नस्थापन मंजूर करने एवं विक्रय अनुमति दिये जाने की कृपा की जावे। अनावेदक क्र-1 के अभिभाषक ने इसका विरोध करते हुये कलेक्टर के आदेश को यथावत् रखने की प्रार्थना की।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है कि क्या कलेक्टर जबलपुर ने अदम पैरबी के आदेश दिनांक 20.4.15 के विरुद्ध दिये गये पुर्नस्थापन आवेदन को आदेश दिनांक 27.7.2015 से निरस्त करने में किसी प्रकार की त्रुटि की है ? प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि अदम पैरबी आदेश दिनांक 20.4.15 के पुर्नस्थापन हेतु अपीलांट ने दो माह वाद आवेदन दिया है जबकि पुर्नस्थापन आवेदन देने हेतु 30 दिवस की समयावधि संहिता की धारा 35 में निर्धारित है। विचार योग्य है कि जब तहसील एवं अनुविभागीय अधिकारी के यहां प्रकरण जांच हेतु गया एवं जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने के वाद वापिस आया, अपीलांट को सूचना देकर सुनवाई हेतु आहुत करना लाजमी था, प्रकरण अदम पैरबी में निरस्त नहीं करना चाहिये था। रामगोपाल विरुद्ध बासुदेव 1973 रा.नि. 356 का न्यायिक दृष्टांत है कि " न्यायालय द्वारा प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया - पक्षकारों को आगामी सुनवाई हेतु दिनांक की जानकारी दी जाना चाहिये और सूचना पत्र निर्वाहित किया जाना चाहिये "। प्रकरण में कलेक्टर द्वारा सूचना देने की कार्यवाही नहीं करना बताया गया है, जिसके कारण उनके द्वारा दिया गया आदेश दिनांक 20.4.15 एवं 27.7.2015 निरस्त किये जाने योग्य हैं।

5/ उभय पक्ष के अभिभाषको के तर्कानुक्रम में देखना है



कि अपीलांट वादग्रस्त भूमि विक्रय करने हेतु पात्र है अथवा नहीं-


1. नायव तहसीलदार पनागर ने अपीलांट के विक्रय अनुमति आवेदन की जांच कर प्रतिवेदन दिनांक 24.6.14 प्रस्तुत कर प्रतिवेदन के पद 2 अ में बताया है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है एवं शासकीय पट्टे की न होकर उसके द्वारा क्रय कर अर्जित की गई भूमि है। प्रतिवेदन के पैरा 10 के अनुसार भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज भूमि है।
2. प्रतिवेदन के पद 2 'स' में बताया गया है कि आवेदित भूमि कम उपजाऊ एवं पथरीली है जिसके कारण लगान से कम पैदावार उत्पन्न होती है।
3. राजस्व निरीक्षक के मौके के जांच प्रतिवेदन के पद 11 अनुसार वादग्रस्त भूमि विक्रय करने के उपरांत आवेदक के पास 2.97 हैक्टर भूमि कृषि योग्य शेष रहेगी - अर्थात् उसकी आजीविका का साधन शेष है।
4. अपीलांट के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदित भूमि भूमिस्वामी हक में दर्ज है एवं आवेदित भूमि पट्टे की भूमि नहीं है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपीलांट की भूमि शासकीय पट्टे पर प्राप्त न होकर स्वयं द्वारा विक्रय पत्र के माध्यम से अर्जित भूमि है और ऐसा भूमिस्वामी अपनी भूमि को विक्रय करने हेतु स्वतंत्र है क्योंकि शासन से पट्टे पर प्राप्त भूमि का पट्टाधारी पट्टे की शर्तों का पालन करते हुये 10 वर्ष व्यतीत होने पर भूमिस्वामी बन जाता है, जो भूमि के सभी प्रकार के प्रयोजन के लिये स्वतंत्र है।

5/ प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि अपीलांट के स्वत्व एवं स्वामित्व की भूमि है जो शासन से पट्टे पर प्राप्त नहीं है। अपीलांट अनुसूचित जनजाति संवर्ग का है जिसके कारण उसने भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 1.65 (7-ख) प्रतिबन्धित करती है कि कोई भी शासकीय पट्टेदार अथवा भूमिस्वामी बिना सक्षम अनुमति के भूमि का विक्रय नहीं करेगा और इसी प्रतिबन्ध के



कारण अपीलांट ने कलेक्टर से आवश्यकता दर्शाते हुये भूमि विक्रय की अनुमति मांगी है। अपीलांट ने भूमि विक्रय करने का अनुबन्ध शासकीय गाईड लायन के मान से निर्धारित दर पर रिस्पा0 क्रमांक 2 के साथ किया है, जो शासन द्वारा निर्धारित गाईड लायन के मान से विक्रय मूल्य देने तैयार है। परिणामतः अपीलांट को स्वअर्जित एवं भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि विक्रय करने की अनुमति दिये जाने में किसी प्रकार की बैधानिक अड़चन नजर नहीं आती है, किन्तु कलेक्टर जबलपुर ने इस पर गौर न करने में भूल की है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार की जाकर कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 223 अ-21/13-14 में पारित आदेश दिनांक 20.4.15 एवं 27.7.2015 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं एवं अपीलांट को मौजा पोड़ी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 172 रकबा 1.74 हैक्टर, 124 रकबा 1.35 है. , 120 रकबा 1.15 है. , 123 रकबा 1.20 हैक्टर कुल कित्ता चार कुल रकबा 5.39 हैक्टर के विक्रय की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्तांकित भूमि का विक्रय पत्र संपादित करते समय शासकीय गाईड लायन के मान से अपीलांट विक्रेता को विक्रय धन प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं ? उप पंजीयक संतुष्टि उपरांत विक्रय पत्र संपादित करें।



(एम0के0सिंह)
सदस्य

राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर